


कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पथ-प्रथम), सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.45/पीएण्डएम-II/परिपत्र/07/ 53

दिनांक 15/1/2007


परिपत्र-2 (2007-08)

प्रायः यह देखा गया है कि सडक नव-निर्माण सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं पुलों के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार एवं पूर्ण विश्लेषण किये बिना ही लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते हैं, जिससे वर्ष की समाप्ति पर, पूर्व निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। अतः यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित लक्ष्य वास्तविकता से परे नहीं हो, जो पूर्णरूप से प्राप्त किये जा सकें।


मुख्य अभियन्ता (पथ प्रथम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अति० मुख्य अभियन्ता, सा०नि०वि० जोन. (समस्त)
2. अधीक्षण अभियन्ता, सा०नि०वि० वृत्त (समस्त)
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि.वि. खण्ड (समस्त)


मुख्य अभियन्ता (पथ प्रथम)